सरयू राय
सदस्य
झारखण्ड विधान सभा
सभापति
कार्यान्वयन, समिति

सत्यमेव जयते

दूरभाष : 0657–2431255
: 0651–2482701
मोबाईल : 094311–14466
158, धालभूम रोड, साकची
जमशेदपुर – 831 001

9, स्टाफ क्वाटर्स
डोरण्डा, राँची–834002

पत्रांक .....

दिनांक .....

कैम्प हजारीबाग
26.10.2006

महामहिम राज्यपाल जी,

राँची उच्च न्यायालय में मेरे द्वारा दायर जनहित याचिका सं0 5836/2006 का फैसला आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ। फैसला संक्षिप्त और स्वतः स्पष्ट है। यह विषय राज्य मंत्रिपरिषद के गठन में संविधान के अनुच्छेद 164(1) और 164(1ए) के प्रावधानों का उलंघन के संबंध में है। माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले में कहा गया है कि चुँकि प्रासंगिक मामला राज्यपाल के पास लंबित है इसलिए न्यायालय द्वारा इस पर विचार किया जाना और इसमें हस्तक्षेप किया जाना मुनासिब नहीं होगा। बहस के दौरान मेरे अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई कि अगर राज्यपाल इस मामले का निष्पादन नहीं करते है, तो मुझे पुनः न्यायालय के समक्ष यह विषय रखने की अनुमति दी जाय। न्यायालय ने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और कहा कि ऐसी अवधारणा अविश्वसनीय है। माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला न्यायालय की नजर में राज्यपाल पद की अहमियत, इस सांवैधानिक पद की गरिमा और मर्यादा की ओर इंगित करता है।

मै पुनः आपका ध्यान इस प्रसंग की कतिपय बीती बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ। आपको स्मरण होगा कि जब विगत 14 सितम्बर 2006 को यूपीए ने वैकल्पिक सरकार बनाने का दावा पेश किया और मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण हेतु 18 सितंबर 2006 की तिथि निर्धारित हुई तो मैंने दिनांक 16 सितंबर 2006 को एक पत्र लिखकर मंत्रिपरिषद के गठन में संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के प्रावधान लागू कराने की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था और आशंका व्यक्त किया था कि मुख्यमंत्री के साथ केवल तीन मंत्रियों का ही शपथ ग्रहण होने जा रहा है। पत्र के साथ मैंने इस संदर्भ में आपके द्वारा 30 मार्च 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जून मुंडा को लिखे हुए उस पत्र को भी संलग्न किया था जिसमें आपके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) और 164(1ए) के प्रावधानों को उद्धृत किया गया था। उल्लेखनीय है कि 29 मार्च 2005 को हुए विस्तार में तत्कालीन अर्जुन मुंडा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या 12 से एक कम यानी 11 रह गई थी, तो एक दिन बाद ही 30 मार्च 2005 को आपके द्वारा उन्हें इस आशय का एक पत्र लिखा गया था।

Scanned with OKEN Scanner

18 सितंबर 2006 को मधु कोड़ा मंत्रिपरिषद का शपथ होने और पुनः 24 सितंबर 2006 को दूसरी बार चार मंत्रियों का शपथ होने के बाद मैंने 28 सितंबर को पुनः पत्र लिखकर सविधान के अनुच्छेद 164(1ए) के प्रावधान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। इसके बाद तीसरी बार कोड़ा मंत्रिपरिषद् में 08 अक्टूबर 2006 को तीन अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया और उनका शपथ ग्रहण हुआ। तीन बार मुख्यमंत्री सहित मत्रियों का शपथ ग्रहण होने के बाद भी मंत्रिपरिषद् की कुल संख्या 12 से एक कम रह गई। मेरे द्वारा इस विषय में बार-बार किये गये अनुरोध पर जब आपके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन मुझे इस मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष ले जाना पड़ा। फलस्वरूप इस विषय में माननीय उच्च न्यायालय का यह फैसला आया, जिसे मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। राज्य मंत्रिपरिषद् के गठन में अनुच्छेद 164(1ए) का उलंघन जिन कारणों से हो रहा है उनसे आप भली-भाँति अवगत हैं। जिन उद्देश्यों के लिए संविधान में 91वाँ संशोधन हुआ उन उद्देश्यों को राज्य सरकार विफल कर रही है और केन्द्र सरकार के कतिपय मंत्री भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में राज्यपाल पद की जिस अहमियत, गरिमा और मर्यादा की ओर इशारा किया गया है उसे कायम रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है।

चुकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, इसलिए प्रश्न उठता है कि क्या आपके द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा इस मामले में आपके सांवैधानिक निर्देशों का उलंघन कर रहे हैं? क्या इस मामले में आपके द्वारा अबतक उन्हें कोई स्पष्ट निर्देश दिया गया है? ऐसा लगता है कि राजनैतिक निहित स्वार्थो की सिद्धि के लिए संविधान के प्रावधानों को तोड़ने मरोड़ने के मामले में नवगठित झारखण्ड राज्य एक प्रयोगशाला बन गया है। संविधान के अनुच्छेद 178 एवं 180(1) के प्रावधानों की जैसी अवहेलना और मनमानी व्याख्या झारखण्ड विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में की गई वह भी इस संदर्भ में सरकार और राजभवन की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। प्रश्न यह भी उठता है कि मंत्रिपरिषद् का गठन होते समय 30 मार्च 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में संविधान के अनुच्छेद 164(1) और 164(1ए) का जो उद्धरण आपके द्वारा दिया गया था वह सही परिप्रेक्ष्य में था या वर्तमान मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया में 12वाँ मंत्री नहीं बनाये जाने के मामले में चुपी साध रखने वाला आपका वर्तमान दृष्टिकोण सही है?

आप सहमत होंगे कि संविधन का अनुच्छेद 164(1) और 164(1ए) बिल्कुल स्पष्ट और दुविधा रहित है। तदनुरूप इनके प्रावधानों की व्याख्या और इन पर आचरण भी स्पष्ट, दुविधारहित और परिस्थिति निरपेक्ष प्रतीत होना चाहिए। राँची उच्च न्यायालय का प्रासांगिक फैसला इस संदर्भ में काबिले गौर है। उम्मीद है कि आप इस फैसला को सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करेगें और मेरे अभ्यावेदनों पर शीघ्र निर्णय लेंगे। यहाँ यह उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि ''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड''।

Scanned with OKEN Scanner

शासन के तीनों अंगो को अपने क्षेत्राधिकार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हमारे संविधान ने प्रदान किया है। कार्यपालिका के प्रमुख के नाते इस संदर्भ में आपका अहम दायित्व है। इस दायित्व निर्वाह में होने वाली देर अथवा कोताही इस मामले को न्यायापालिका के समक्ष ले जाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए असहज स्थिति उत्पन्न करता है। परन्तु जब कार्यपालिका बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में अपनी भूमिका निभाने में जानबूझ कर लापरवाही बरतती है अथवा अपने दायित्व निर्वाह में विफल रहती है तो इसके सिवाय कोई चारा नहीं बचता है कि संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों की समुचित व्याख्या और इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए न्यायापालिका का दरवाजा खटखटाया जाय।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के संबंधित फैसला के संदर्भ में आप शीध्र निर्णय करेंगें और संविधान के अनुच्छेद 164(1) एवं 164(1ए) के प्रावधानों के अनुरूप राज्य मंत्रिपरिषद् में 12वें मंत्री की नियुक्ति शीध्र सुनिश्चित करायेगें। मुझे विश्वास है कि एक पखवारा के भीतर कार्यपालिका के प्रमुख के नाते इस संदर्भ में आपको समर्पित मेरे अभ्यावेदनों पर आपके द्वारा समुचित निर्णय लेने की कारवाई पूरी हो जायेगी, अन्यथा मुझे इस मामले को पुनः सक्षम न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सादर,

भवदीय

(सरयु राय)

सेवा में,
श्री सैयद सिब्ते रजी,
महामहिम राज्यपाल,
झारखण्ड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P. (PIL) No. 5836 of 2006.

Saryu Roy. . ... Petitioner.

Versus

State of Jharkhand and others. ... .Respondents. .

CORAM: HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE M.Y.EQBAL.

For the petitioner : M/s. B.Poddar & S.K.Mishra. .
For the respondents Mr. R,.N. Sahay, Sr. SC II.

2.../ 13.10.2006 Heard the counsel for the petitioner.

Since the Governor is in seisin of the matter, this court is not inclined to interfere with the matter. This writ application is dismissed.

Learned counsel for the petitioner seeks liberty to approach this court if the Governor does not pass order. This request is wholly misconceived. The prayer is rejected.

Sd- M. Karpaga Vinayagam, C.J.

Sd- M.Y. Eqbal, J.

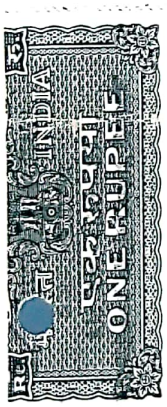

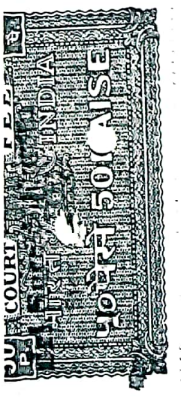

Certified to be True Photo Copy

For Registrar

Authorised U/S 79 Act 1 of 1872

19/10/06

19/10/06